न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 127/2015

दायर दिनांकः 28.07.2015

निर्णय दिनांक 05.04.2021

—:अनवानः—

हरिराम पिता शंकरलाल कुमावत उम्र 65 वर्ष, निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द

————प्रार्थी

—:बनामः—

1. ग्राम पंचायत बडारडा जरिये सरपंच/ सचिव
2. श्री खेमराज पिता हरिराम कुमावत निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द

——अप्रार्थीगण

<u>निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994, बाबत ग्राम पंचायत बडारडा पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 06.07.2000 पंजीयन दिनांक 26/03/2002 से व्यथित होकर।</u>

उपस्थितः—

1— श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार

2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

3— अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी याचिका विरुद्ध विपक्षीगण के धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम,1994 के इस न्यायालय में दिनांकः 2107.2015 को पेश की गयी हैं।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह निवेदन किया गया कि प्रार्थी/निगरानीकार का एक आवासीय मकान जो दो मंजिला बना हुआ हैं, बडारडा से बामनहेडा जाने वाली सडक पर स्थित हैं जो प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य का होकर प्रार्थी वर्षो से अपने परिवार सहित निवास कर रहा हैं। विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी की सहमति/स्वीकृति के बगैर उक्त मकान का आवासीय पैतृक मकान का पट्टा विपक्षी सं. 02 के नाम पर दिनांक 06.07.2020 को जारी कर कार्यालय उप पंजीयक राजसमन्द के यहॉ पर दिनांक 26.03.2002 को पंजीयन करा दिया गया हैं। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बडारडा द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे बताया कि प्रार्थी/निगरानीकार का एक आवासीय मकान जो दो मंजिला बना हुआ हैं, बडारडा से बामनहेडा जाने वाली सडक पर स्थित हैं जो प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य का होकर प्रार्थी वर्षो से अपने परिवार सहित निवास कर रहा हैं। विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी की सहमति/स्वीकृति के बगैर उक्त मकान का आवासीय पैतृक मकान का पट्टा विपक्षी सं. 02 के नाम पर दिनांक 06.07.2020 को जारी कर कार्यालय उप पंजीयक राजसमन्द के यहॉ पर दिनांक 26.03.2002 को पंजीयन करा दिया गया हैं। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बडारडा द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत बडारडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी किया गया पट्टा प्रार्थी की सहमति/स्वीकृति के बगैर व पट्टा बिना पत्रावली के जारी हुआ। मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रार्थी का वादग्रस्त भुमि पर कब्जा हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य होकर ग्राम पंचायत बडारडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी आक्षेपित पट्टा सं. 18 खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बडारडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 06.07.2000 को निरस्त किया जाता है तथा दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए आवेदन पत्र पेश होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद